

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, किशनगढ
जिला-अलवर



* जाति प्रमाण-पत्र *



क्रमांक : RJ6/2015/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/1651
01-2015

दिनांक 28-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बृजेश कुमार सिंह पुत्र रोशन लाल गांव/नगर गाँव बसई बीरथल पोस्ट माछरोली तहसील किशनगढ बास जिला अलवर जिला/डिवीजन अलवर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **जाटव (17)** जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950,
संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951,
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल
प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पूरुबिच) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघ राज्य क्षेत्र) अधिनियम
1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघ राज्य क्षेत्र)
अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अरुणाचल तथा मिजोरम द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली)
अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964,
संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा
दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी बृजेश कुमार सिंह गांव/नगर गाँव बसई बीरथल पोस्ट माछरोली तहसील किशनगढ बास जिला अलवर जिला/डिवीजन अलवर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में सामान्यतया रहता है।

नोट :

1. यहां प्रयोग **साधारणतः** निवासी का अर्थ वही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं. एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, किशनगढ

Signature valid

Digitally signed by
Rajawat Ram Singh
Date: 2015.01.28
10:29:11 AM
Reason: SCM
Location: Rajasthan



1506112610038854